न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्र0सं0, 109/2016, (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2016/00186) व इजलास हेमन्त कुमार (R.A.S)

उनवान

अमरसिंह पुत्र बाबू जाति जादों ठाकुर निवासी अऊ तहसील डीग(भरतपुर)राज0

—वादी

बनाम

1. गोविन्दसिंह } पुत्रगण खचेरा } जातियान जादों ठाकुर नि0 अऊ तहसील डीग(भरतपुर)
2. जगन्नाथ } पुत्रगण खचेरा
3. हरीसिंह } पुत्रगण इमरता
4. कल्याण } पुत्रगण इमरता
5. रनवीरसिंह पुत्र सुक्खी जाति जादों ठाकुर नि0 ऊमरा तहसील डीग(भरतपुर)
6. पार्वती पत्नी श्यामसुन्दर } जातियान जादों ठाकुर नि0 अऊ तहसील डीग(भरतपुर)
7. निहालसिंह पुत्र सुक्खी }
8. तहसीलदार तहसील डीग(भरतपुर)

—प्रति0

दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांक: 20.12.2022

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि नवीन आ.ख.नम्बरान 728/0.28, 2070/0.12, 2182/0.22, 2075/0.46, 2184/0.96, वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में स्थित है। साविक आराजी खसरा नम्बर 637 रकबा 1 बीघा 16,1987 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा, 2023 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा का था जो वादी के पिता बाबू के कब्जे काश्त खातेदारी का था जिस पर पहले वादी के पिता बाबू काविज रहकर निरन्तर काश्त करते रहे और पिता के वाद वादी आराजी मुत0 पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काविज है। उक्त साविक आराजीयात कुल 4 बीघा 15 का था जोकि सैटिलमेंट विभाग वालों द्वारा साविक नम्बर 637 रकबा 1 बीघा 16 से हाल नम्बर 728/0.28 व साविक नम्बर 1987 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा से हाल नम्बर 2070/0.12 व साविक नम्बर 2023 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा से हाल नम्बर 2182/0.22 बनाये गये साविक रकबा की कुल पैमाईश 4 बीघा 15 विस्वा थी और हाल रिकार्ड में मात्र 62 ऐयर दर्ज की गई है। साविक रकबा 4 बीघा 15

Scanned by AnyScanner

विस्वा की नई 76 ऐयर होती है जो 62 ऐयर आई है जो साविक के मुकावले 14 ऐयर रकबा कम आया है जबकि मौके पर वादी आज भी साविक के मुताविक 4 वीघा 15 विस्वा यानि 76 ऐयर पर काबिज है। साविक खसरा नम्बर 1987 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा से हाल नम्बर 2070/0.12 बनाया गया है जो साविक के मुकाबले 8 ऐयर रकबा कम आया है मौके पर वादी 1 वीघा 6 विस्वा पर काबिज रहकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। वादी के साविक खसरा नम्बर 1987 से मिलता हुआ खसरा नम्बर 1986 रकबा 1 वीघा 18 विस्वा का था जो प्रति0 नम्बर 1 व 2 के बुजुर्गान परशादी के नाम था जिसे दौराने सैटिलमेंट हाल नम्बर 2075/0.46 में बदला गया है जो साविक के मुकावले 16 ऐयर रकबा अधिक दर्ज किया गया है जब प्रति0 नम्बर 1 व 2 मौके पर 1 वीघा 18 विस्वा आराजी पर काबिज है। वादी आराजी खसरा नम्बर 2075/0.46 में से 8/46 हिस्से का अपने आप खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है व वादी का साविक खसरा नम्बर 2023 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा से हाल नम्बर 2182/0.22 बनाया गया है जो साविक के मुकावले 6ऐयर रकबा कम आया है मौके पर वादी 1 वीघा 13 विस्वा पर काबिज रहकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। वादी के साविक खसरा नम्बर 2023 से मिलता हुआ खसरा नम्बर 2024 रकबा 3 वीघा 2 विस्वा, 2025 रकबा 18 विस्वा, 2026 रकबा 1 वीघा 14 विस्वा कुल रकबा 5 वीघा 11 विस्वा का था जिसे दौराने सैटिलमेंट हाल नम्बर 2184/0.96 में बदला गया है। साविक रकबा 5 वीघा 11 विस्वा की नई पैमाईश 88 ऐयर होती है। जो प्रति0 नम्बर 3 लगायत 7 के नाम सैटिलमेंट में गलत रूप से 8 ऐयर अधिक दर्ज करदी गई, जबकि प्रति0 आज भी मौके पर 5 वीघा 11विस्वा यानि 88 ऐयर पर काबिज है और वादी 1 वीघा 13 विस्वा पर काबिज है। सैटिलमेंट विभाग वालों को इस प्रकार इन्द्राज रकबा कम व अधिक करने का कोई अधिकार नहीं था।

अतः निवेदन है कि आ0 ख0 नम्बर 2075/0.46, में से 8 ऐयर का व खसरा नम्बर 2184/0.96 में से 6 ऐयर का खातेदार काश्तकार है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रति0 का नाम सालिम रकबा पर दर्ज किया जा रहा है को कलमजन किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 2075/0.46 में से 8 ऐयर का व खसरा नम्बर 2184/0.96 में से 6 ऐयर का खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे तथा आराजी खसरा नम्बर 2075/0.46, 2184/0.96 को दीगर लोगों को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने, वादी को ताकत के बल पर बेदखल नहीं करने तथा रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु प्रति0 को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पावंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 27.10.2016 को को प्रति0 संख्या 01 लगायत 7 के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में राजस्व रिकार्ड में नकल जमाबन्दी हाल सम्बत 2069–2072 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्बत 2069–2072, प्रदर्श–2,3 नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी खेवट खतौनी प्रदर्श–5,6,7 तथा नकल नक्सा हाल, नक्सा साविक प्रस्तुत किये गये। प्रति0 की पूर्व में ही दिनांक 27.10.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी

Scanned by
AnyScanner

है, ऐसी स्थिति में वादी के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादी का दावा उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया एवं वकील वादी के द्वारा पेश की गई बहस पर मनन किया। सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड के अध्ययन/मिलान किये जाने से आराजी खसरा नम्बर 2075/0.46 में से 8 ऐयर आराजी की हद तक वादी का दावा सावित होने पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा शेष दावा में खसरा नम्बर 2184/0.96 के सम्बन्ध में प्रस्तुत तथ्य रिकार्ड से मिलान नहीं होते क्योंकि वादी द्वारा प्रति0 के साबिक आराजी का कुल रकबा दावे में पेश तथ्यों से भिन्न होने के कारण वादी अपना दावा साबित नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में हम वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादी का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर आंशिक **स्वीकार** किया जाता है। आ.ख.नम्बर 2075/0.46, वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में से 8 ऐयर आराजी पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 सं0 1,2 का बाहिस्सा बरावर रकबा कलमजन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा शेष रकबा यथावत रहेगा। साथ ही राजस्व रिकार्ड व तथ्य का नियमानुसार मिलान/सावित नहीं होने की स्थिति में शेष दावे को अस्वीकार/खारिज किया जाता है। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

Scanned by
AnyScanner